



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 5-2026] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2026 (MAGHA 14, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA
NIRVACHAN SADAN, SECTOR-17, PANCHKULA-134109

Order

The 30th January, 2026

No. SEC/2E-II/2026/128.— Whereas general election of the Member of Zila Parishad, Rewari was held on 09.11.2022 and the result of the election were declared on 27.11.2022.

2. As per provisions contained in the Haryana Panchayati Raj Election Expenditure (Maintenance and Submission of Accounts) Order, 1996 every candidate contesting election for the Panchayati Raj Institutions shall have to maintain day to day elections expenditure account in accordance with the procedure laid down in paras 4,5 and 6 of these orders and shall have to lodge his account of elections expenses within 30 days from the date of declaration of result of the election in the prescribed format with the Deputy Commissioner-cum-District Election Officer(P) or any other officer as specified by the State Election Commission. The total of the expenditure shall not exceed such amount as may be notified by the State Election Commission from time to time.

3. The State Election Commissioner, Haryana in exercise of powers vested with him under article 243K of the Constitution of India and Section 212 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994(Haryana Act no. 11 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf has authorized Deputy Commissioner cum District Election Officer(P) concerned bearing endorsement No. SEC/3E-III/2024/435-64 dated 31.05.2024 to decide the cases of disqualification of the contesting candidates of concerned Zila Parishad who have failed to lodge their account of election expenses within the time limit and manners as per prescribed by the State Election Commission. As per para 11(b) of this order competent authority having powers of disqualification shall pass an order of disqualification if he/she is satisfied that person:-

(I) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner require under this order and

(II) has no valid reason or justification for the failure to submit the account of election within prescribed time Sub-Divisional Officer(C) and the Deputy Commissioner cum District Election Officer(P) concerned, as the case may be shall by order published in the official Gazette, declare him/her to be disqualified and may such person shall be disqualified for a period of five years from the date of the order.

4. The contesting candidates of Zila Parishad, Rewari who have disqualified by Deputy Commissioner-cum-District Election Officer(P), Rewari vide his orders endorsement No. 164-209/ Panchyat, dated 07-01-2025 are as under:-

Sr. No.	Sarv/Sh./Smt	Father/Husband Name	Address	Ward No.
1.	Surender Kumar	Mohar Singh	Bawwa	1
2.	ChanderDeep	Satyapal	Khursidnagar	1
3.	Ajeet	Satyapal	Jholari	1
4.	Prem Kumar	Shivkumar	Kosli	3
5.	Sunil Kumar	Hariram	Gurhawara	4
6.	Manjubala	Kapil Muni	Babdoli	5
7.	Urmila	Kuljit Singh	Chowki No.	5
8.	Meena	Tapeswar	Bairli Kalan	5
9.	Jaya Yadav	Devender	Biharipur	5
10.	Anil Kumar	Satyapal Singh	Dahina	6
11.	Suresh	Ramniwas	Gothdha Tappa Dahina	6
12.	Sandeep Kumar	Ved Parkash	Dhani Kolana	8
13.	Rajbir	Mahender Singh	Ahrodh	8
14.	Gopiram	Rampat	Khol	8
15.	Virat	Chotelal	Dhani Sobha	8
16.	Laxmibhai	Randir Singh	Lisana	10
17.	Anirudh	Matadeen	Nandrampur Bans	13
18.	Rajesh Kumar	Shadiram	Rasgan	13
19.	Rajender Prasad	Harnaraian	Rajpura Isatmurar	14
20.	Krishan Kumar	Vinod Kumar	Khori	14
21.	Dayanand	Sumer Singh	Dhamlawas	14
22.	Devender Singh	Vijay Singh	Badrana	14
23.	Manjubala	Naresh Kumar	Masani	15
24.	Renu	Rajkumar	Goliayaki	15
25.	Komal	Rohtash	Nangali Gotha	15
26.	Manju	Mahender Singh	Mukundpur Bansai	16
27.	Ajay Kumar	Sumer Singh	Ramsinghpura	17
28.	Virender Singh	Phool Singh	Shahpur	17
29.	Sudesh Devi	Narender Kumar	Jhabua	18

5. In exercise of the powers conferred under Article 243K of the Constitution of India and Section 212 of The Panchayati Raj act, 1994 and all other powers enabling it in this behalf, I Devender Singh Kalyan, State Election Commissioner, Haryana hereby order to notify the order declaring the above said candidates disqualified by the Deputy Commissioner-cum-District Election Officer(P), Rewari vide Endst.No. 164-209/Panchayat, dated 07-01-2026 in the Haryana Government Gazette. The disqualification shall run from the date of order passed by the Deputy Commissioner cum District Election Officer(P), Rewari in this respect i.e dated 07.01.2026.

Panchkula:
The 29th January, 2026.

(Sd/)...,
State Election Commissioner, Haryana.

कार्यालय उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०), रेवाड़ी
office of The Deputy Commissioner Cum-District Election Officer (P), Rewari

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, पंचकला द्वारा जारी हिदायतानुसार चुनाव खर्च लेखा रजिस्टर चुनाव परिणाम जारी होने के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा करवाना होता है। जिला परिषद् के चुनाव लड़ने वाले कुल 133 उम्मीदवारों में से 48 उम्मीदवारों द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2022 के दौरान जिला परिषद् का चुनाव लड़ा था लेकिन उनके द्वारा चुनाव खर्च लेखा रजिस्टर अभी तक इस कार्यालय में जमा नहीं करवाया है।

अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र क्रमांक 9734-88/पंचायत दिनांक 01.10.2025 के द्वारा जिला परिषद् के 48 उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव खर्च लेखा जमा नहीं करवाया उनको दिनांक 06.10.2025 को निजि सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। निजि सुनवाई के दौरान 10 जिला परिषद् उम्मीदवार उपस्थित हुए। निजि सुनवाई के दौरान उपायुक्त महोदय के द्वारा 15 दिन के अन्दर-अन्दर चुनाव खर्च लेखा जमा करवाने के निर्देश दिये गये तथा इस कार्यालय द्वारा दूरभाष पर भी 48 जिला परिषद् उम्मीदवारों को चुनाव खर्च लेखा जमा करवाने बारे सूचना दी गई। जिसके फलस्वरूप 14 जिला परिषद् उम्मीदवारों द्वारा अपना चुनाव खर्च लेखा इस कार्यालय में जमा करवाया। इसके उपरान्त अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र क्रमांक 12983-13016/पंचायत दिनांक 24.11.2025 के द्वारा दिनांक 28.11.2025 को पुनः निजि सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। निजि सुनवाई के दौरान 4 जिला परिषद् उम्मीदवार उपस्थित हुए। निजि सुनवाई के दौरान उपायुक्त महोदय द्वारा पुनः 15 दिन के अन्दर-अन्दर चुनाव खर्च लेखा जमा करवाने के लिए अन्तिम अवसर प्रदान किया गया तथा इस कार्यालय द्वारा दूरभाष सन्देश द्वारा 34 जिला परिषद् के उम्मीदवारों को चुनाव खर्च लेखा जमा करवाने बारे पुनः सूचना दी गई। जिसके फलस्वरूप 5 जिला परिषद् उम्मीदवारों द्वारा अपना चुनाव खर्च लेखा इस कार्यालय में जमा करवाया तथा निम्नलिखित 29 जिला परिषद् उम्मीदवारों द्वारा अपना चुनाव खर्च रजिस्टर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा नहीं करवाया तथा ना ही निजि सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए तथा ना ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज इस कार्यालय में भिजवाए:-

क्र० संख्या	जिला परिषद् उम्मीदवार का नाम सर्व श्री/श्रीमति	पिता/पति का नाम	पता	वार्ड नं०
1	सुरेन्द्र कुमार	श्री मोहर सिंह	निवासी बव्वा	1
2	चन्द्रदीप	श्री सत्यपाल	निवासी खुर्शीदनगर	1
3	अजीत	श्री सत्यपाल	निवासी झौलरी	1
4	प्रेम कुमार	श्री शिवकुमार	निवासी कोसली	3
5	सुनील कुमार	श्री हरिराम	निवासी गुरावडा	4
6	मन्जुबाला	श्री कपिल मुनी	निवासी बाबडोली	5
7	उर्मिला	श्री कुलजीत सिंह	निवासी चौकी नं० 2	5
8	मीना	श्री तपेश्वर	निवासी बेरली कंला	5
9	जया यादव	श्री देवेन्द्र	निवासी बिहारीपुर	5
10	अनिल कुमार	श्री सत्यपाल सिंह	निवासी डहीना	6
11	सुरेश	श्री रामनिवास	निवासी गोठडा टप्पा डहीना	6
12	संदीप कुमार	श्री वेद प्रकाश	निवासी ढाणी कोलाना	8
13	राजबीर	श्री महेन्द्र सिंह	निवासी अहरोध	8
14	गोपीराम	श्री रामपत	निवासी खोल	8
15	विराट	श्री छोटेलाल	निवासी ढाणी शोभा	8
16	लक्ष्मीबाई	श्री रणधीर सिंह	निवासी लिसाना	10
17	अनिरुध	श्री मातादीन	निवासी नन्दरामपुर बांस	13
18	राजेश कुमार	श्री शादीराम	निवासी रसगण	13
19	राजेन्द्र प्रसाद	श्री हरिनारायण सिंह	निवासी राजपुरा इस्तमुरार	14
20	कृष्ण कुमार	श्री विनोद कुमार	निवासी खोरी	14
21	दयानन्द	श्री सुमेर सिंह	निवासी धामलावास	14
22	देवेन्द्र सिंह	श्री विजय सिंह	निवासी बधराना	14
23	मन्जुबाला	श्री नरेश कुमार	निवासी मसानी	15
24	रेणू	श्री राजकुमार	निवासी गोलियाकी	15

क्र० संख्या	जिला परिषद् उम्मीदवार का नाम सर्व श्री/श्रीमति	पिता/पति का नाम	पता	वार्ड नं०
25	कोमल	श्री रोहताश	निवासी नंगली गोधा	15
26	मन्जु	श्री महेन्द्र सिंह	निवासी मुकन्दपुर बंसई	16
27	अजय कुमार	श्री सुमेर सिंह	निवासी रामसिंहपुरा	17
28	विवेन्द्र सिंह	श्री फूल सिंह	निवासी शाहपूर	17
29	सुदेश देवी	श्री नरेन्द्र कुमार	निवासी झाबुआ	18

अतः मै अभिषेक मीणा, आई०ए०एस० उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०), रेवाडी राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, पंचकूला की हिदायत क्रमांक SEC/3E III/2024/435-464 दिनांक 31.05.2024 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित 29 जिला परिषद् उम्मीदवारों को चुनाव खर्च रजिस्टर जमा ना करवाने के कारण आगामी 05 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।

(हस्ता०)...,
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०),
रेवाडी।